प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली क्षेत्र

केन्द्रीय राजस्व भवन, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली-110109

फा.सं.हि/19/जी एस टी/कार्यशाला/2019 644 to 647 दिनांक:- 09.07.2021

कार्यालय आदेश 13/07/2021

विषय – हिंदी कार्यशाला का आयोजन -2021

हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध तथा राजभाषा नीति के अनुपालन एवं प्रचार- प्रसार हेतु दिनांक – 15.07.2021 को प्रथम सत्र में 10.30 – 01.00 बजे तक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा । इस कार्यशाला का आयोजन सभागार, ई.आई.एल. भवन में किया जाएगा। इसके दौरान सभी आयुक्तालय में कार्यरत अधिकारी/ कार्मिक को तिमाही रिपोर्ट भरने संबंधित एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।

इस कार्यशाला में प्रधान आयुक्तालय, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम, अपील- II, लेखा परीक्षा –II, के प्रशिक्षार्थी के लिए नामित अधिकारी /कार्मिक शामिल होंगे। उक्त कार्यशाला में सभी आयुक्तालय में राजभाषा का कार्यभार का निर्वाह कर रहे अधिकारीयों / कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रत्येक आयुक्तालय अपने प्रत्येक अनुभाग /शाखा / मंडल से किसी भी एक अधिकारी/ कार्मिक को इस कार्यशाला में नामित करें। साथ ही,ध्यान रखा जाए कि पूर्व में आयोजित कार्यशाला में शामिल अधिकारियों को पुनः नामित न किया जाए। चुकि कार्यशाला का उदेश्य छोटे-छोटे समूहों में प्रत्येक अधिकारी /कार्मिक को राजभाषा संबंधित नियमों आदि से अवगत कराना है।

उपरोक्त कार्यशाला हेतु नामित प्रशिक्षार्थियों की सूची बनाकर दिनांक 13.07.2021 तक सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली को प्रेषित करें अथवा **veenapani.bansingh@gov.in** मेल करें ।

यह कार्यालय आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(सहायक निदेशक,रा.भा.),
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु-

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर -अपील II,दिल्ली पश्चिम ,दक्षिण दिल्ली , ~~II~~, लेखा परीक्षा –II, ई.आई.एल, भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

8/e